इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 454] भोपाल, रविवार, दिनांक 21 नवम्बर 2021—कार्तिक 30, शक 1943

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2021

क्र. 21—इक्कीस—अ(प्रा.).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्राख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश
क्रमांक १४ सन् २०२१

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश, २०२१

"मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 21 नवम्बर, 2021 को प्रथम बार प्रकाशित किया गया

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया।

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश।

यत:, राज्य के विधान-मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरंत कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश, २०२१ है।

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक १ सन् १९९४ का अस्थाई रूप से संशोधित किया जाना.

२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) धारा ३ में विनिर्दिष्ट संशोधन के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा ।

३. मूल अधिनियम की धारा ९ के पश्चात, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात् :-

धारा ९क का अंत:स्थापन.

कतिपय अवधि की समाप्ति के पश्चात् पंचायतों के भावी परिसीमन अथवा विभाजन का निरस्तीकरण समझा जाना.

९क. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां ग्राम पंचायत या उसके वार्डों अथवा जनपद पंचायत या उसके निर्वाचन क्षेत्रों अथवा जिला पंचायत या उसके निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन अथवा विभाजन ऐसी पंचायत के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किया जाता है किन्तु ऐसी पंचायत के निर्वाचन की अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसी भी कारण से उक्त परिसीमन अथवा विभाजन के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर जारी नहीं की जाती है, वहां उसके निम्नलिखित परिणाम होंगे :–

(एक) इस प्रकार प्रकाशित ग्राम पंचायतों या उसके वार्डों अथवा जनपद पंचायतों या उसके निर्वाचन क्षेत्रों अथवा जिला ग्राम पंचायत या उसके निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन अथवा विभाजन उस तारीख से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् निरस्त समझा जाएगा, जिस तारीख को उक्त परिसीमन अथवा विभाजन प्रकाशित हुआ था;

(दो) ग्राम पंचायतों या उनके वार्डों अथवा जनपद पंचायतों या उनके निर्वाचन क्षेत्रों अथवा जिला पंचायतों या उनके निर्वाचन क्षेत्रों का निर्वाचन उस परिसीमन अथवा विभाजन के आधार पर किया जायेगा, जो उनकी संबंधित अवधि की समाप्ति के ठीक पहले विद्यमान थे;

(तीन) ग्राम पंचायतों या उनके वार्डों या जनपद पंचायतों या उनके निर्वाचन क्षेत्रों अथवा जिला पंचायतों या उनके निर्वाचन क्षेत्रों के प्रवर्ग उन्हीं प्रवर्गों के लिए आरक्षित बने रहेंगे जैसे कि वे उनकी संबंधित अवधि की समाप्ति पर थे:

परन्तु उपरोक्त परिणाम, ऐसी ग्राम पंचायतों अथवा उनके वॉर्डों या जनपद पंचायतों अथवा उनके निर्वाचन क्षेत्रों या जिला पंचायतों अथवा उनके निर्वाचन क्षेत्रों, जो संबंधित पंचायतों के अंतिम निर्वाचन के पश्चात् किसी नगरीय क्षेत्र की अधिसूचना के कारण परिसीमित या विभाजित किए गए थे, के संबंध में लागू नहीं होंगे ।"।

मंगूभाई छ. पटेल
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश.

भोपाल :
तारीख : 18 नवम्बर 2021

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2021

क्र. 21–इक्कीस–अ(प्रा.).– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (क्रमांक 14 सन् 2021) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE
No. 14 *of* 2021

THE MADHYA PRADESH PANCHAYAT RAJ AVAM GRAM SWARAJ (SANSHODHAN) ADHYADESH, 2021

First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 21st November 2021.

Promulgated by the Governor in the seventy-second year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993.

Whereas, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:-

Short title.

1. This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj (Sanshodhan) Adhyadesh, 2021.

Madhya Pradesh Act No. 1 of 1994 to be temporarily amended.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) (hereinafter referred to as the principal Act) shall have effect subject to the amendment specified in section 3.

Insertion of section 9A.

3. After section 9 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

Deemed annulment of prospective delimitation or division of Panchayat after expiry of certain period.

"**9A.** Notwithstanding anything contained in this Act, where the Gram Panchayat or its wards, or the Janpad Panchayat or its constituencies, or the Zila Panchayat or its constituencies

are delimited or divided before the end of the term of such Panchayat but the notification of the election to such Panchayat is not issued by the State Election Commission, for whatever reasons, within a period of one year from the date of publication of such delimitation or division, then the following consequences shall ensue:-

(i) The delimitation or division of the Gram Panchayats or its wards, or the Janpad Panchayats or its constituencies, or the Zila Panchayats or its constituencies, so published, shall be deemed to be annulled at the expiry of the period of one year from the date on which the said delimitation or division was published;

(ii) The election to the Gram Panchayats or their wards, or the Janpad Panchayats or their constituencies, or the Zila Panchayats or their constituencies shall be held on the basis of delimitation or division which existed immediately before the end of their respective terms;

(iii) The category to which the Gram Panchayats or their wards, or the Janpad Panchayats or their constituencies, or the Zila Panchayats or their constituencies shall continue to be reserved for the same category as it was at the end of their respective term:

Provided that the above consequences shall not be applicable in relation to such Gram Panchayats or their wards or Janpad Panchayats or their constituencies, or the Zila Panchayats or their constituencies, which were delimitated or divided due to notification of any urban area after the last election of respective Panchayats.".

MANGUBHAI C. PATEL
Governor,
Madhya Pradesh.

Bhopal:
Dated: 18th November 2021

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.